रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-08012021-224278
**CG-DL-W-08012021-224278**

प्राधिकार से प्रकाशित
**PUBLISHED BY AUTHORITY**
साप्ताहिक
**WEEKLY**

**सं. 42]** **नई दिल्ली, दिसम्बर 27, 2020—जनवरी 2, 2021, शनिवार / पौष 6 — पौष 12, 1942**
**No. 42]** **NEW DELHI, DECEMBER 27, 2020 - JANUARY 2, 2021, SATURDAY/PAUSHA 6 - PAUSHA 12, 1942**

**इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके**
**Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation**

**भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)**
**PART II—Section 3—Sub-section (i)**

**भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं )**

**General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)**

## गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2020

**सा.का.नि. 208.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, (तैराकी शिक्षक) भर्ती नियम, 1981 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में तैराकी शिक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : 1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, तैराकी शिक्षक भर्ती नियम, 2020 है।

   2. ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर**– पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा और अर्हताएं आदि**–भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**–वह व्यक्ति–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**–जहां केंद्र सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**–इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

| पद का नाम | पद संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन या अचयन पद | सीधी भर्ती के लिए आयु–सीमा | सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| तैराकी शिक्षक | 01*(2020)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय। | वेतन मैट्रिक्स में स्तर– 6<br>(रु. 35,400–112,400) | लागू नहीं होता | 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 5 वर्ष तक की छूट है।<br>**टिप्पणी** : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी। | **शैक्षणिक अर्हता** :<br>(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री।<br>(ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से तैराकी में कोचिंग डिप्लोमा या प्रमाण पत्र ; और<br>(iii) ओलंपिक या एशियाई खेल या विश्वप्रतियोगिता या राष्ट्रमंडल खेलों या राष्ट्रीय खेलों में सहभागिता का प्रमाणपत्र होना चाहिए ।<br>**अनुभव** : सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से तैराकी शिक्षक के रूप दो वर्ष का अनुभव। |

| सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | **भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रति नियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति या प्रति नियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिन से प्रोन्नति या प्रति नियुक्ति या आमेलन किया जाएगा |
|---|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) | (11) |
| लागू नहीं होता | सीधी भर्ती हेतु दो वर्ष | प्रति नियुक्ति द्वारा अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा । | प्रति नियुक्ति–<br>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्र शासित प्रदेशों के अधिकारी– |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | (क) (i) नियमित आधार पर समरूप पदधारक ; या<br>(ii) पे मैट्रिक्स में स्तर– 5 (रु. 29200–92300) में 6 वर्ष की नियमित सेवा के साथ ;<br>(ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती हेतु विदित आवश्यक शैक्षणिक अर्हता, अनुभव आदि होना चाहिए।<br>**टिप्पण** : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि हैं साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।<br>**टिप्पण** : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। |

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हैं तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|
| (12) | (13) |
| **समूह–'ग' हेतु विभागीय पुष्टिकरण समिति ( पुष्टिकरण पर विचार हेतु) जिसमें निम्नलिखित होंगे–**<br>1. संयुक्त निदेशक – अध्यक्ष<br>2. उप निदेशक –सदस्य<br>3. सहायक निदेशक –सदस्य | लागू नहीं होता। |

[फा.सं. 23011/67/2018–पीटी]

डी. के. घोष, अवर सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**

New Delhi, the 30th December, 2020

**G.S.R. 208 .—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Swimming Coach) Recruitment Rules, 1981 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Swimming Coach in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad under the Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Swimming Coach, Recruitment Rules, 2020.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.—**The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.—**The method of recruitment of the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.—**No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the above said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, in consultation with Union Public Service Commission, by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen the Other Backward classes and the other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of post | Number of post | Classification | Level in the pay matrix | Whether selection post or non-selection post |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Swimming Coach. | 1* (2020)<br>*Subject to variation dependent on workload. | General Central Service,<br>Group-B,<br>Non-Gazetted,<br>Non-Ministerial. | Level -6 in the pay matrix.<br>(Rs. 35400-112400). | Not applicable. |

| Age-limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|
| (6) | (7) |
| Not exceeding 30 years<br>(Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)<br>**Note :** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. | **Educational Qualification:**<br>(i) Bachelor Degree from a recognised University or Institution.<br>(ii) Coaching Diploma or Certificate in swimming from a recognised Institute; and<br>(iii) Possessing Certificate of participation in Olympic or Asian games or Word Championship or Common Wealth games or National games.<br>**Experience:**<br>Two years experience as Swimming Coach from an institution recognised by the Government. |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods. |
|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) |
| Not applicable | Two years for direct recruits | By Deputation failing which by direct recruitment |

| In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| **Deputation :**<br>Officers of the Central Government or State Government or Union Territories:<br>(a) (i) holding analogous post on regular basis; or<br>(ii) with six years regular service in the level - 5 of pay matrix (Rs. 29200-92300),<br>(b) possessing the essential educational qualifications, experience, etc. prescribed for direct recruits under column (7).<br>**Note-1.** The period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.<br>**Note-2.** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications. | **Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consists of :-**<br>(i) Joint Director – Chairman;<br>(ii) Deputy Director- Member;<br>(iii) Assistant Director –Member. | Not applicable. |

[F.No. 23011/67/2018-PT]

D. K. GHOSH, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2020

**सा.का.नि. 209** .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** .— (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, (नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर) भर्ती नियम, 2020 है।

   (ii) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर**.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा और अर्हताएं आदि**.—भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**.—वह व्यक्ति —

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है, या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**.–जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध कर इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**.–इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

| पद का नाम | पद संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन या अचयन पद | सीधी भर्ती के लिए आयु–सीमा | सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर | 03* (2020)<br>* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय। | वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 5 (रू. 29,200–92,300/–) | चयन | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | **भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा |
|---|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) | (11) |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।<br>(जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।) | **प्रोन्नति** –<br>वेतन मैट्रिक्स में स्तर–4 (25500–81100/–) में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की श्रेणी में 5 वर्षीय नियमित सेवा होना चाहिए।<br>**टिप्पण** : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध मे जिन्होंने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।<br>प्रतिनियुक्ति ( जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है। ) –<br>**केन्द्रीय या राज्य सरकार के अंतर्गत कार्यरत अधिकारी** :– |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हो ; या<br>(ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर –4 ( 25500–81100/–) में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर या समकक्ष के रूप में 5 वर्षीय नियमित सेवा की हो तथा निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव रखते हों :–<br>**(क) आवश्यक** –<br>(i) सरकारी संस्थान या सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन्स में एक वर्षीय डिप्लोमा या इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग से मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर पाठ्यक्रम –ए लेवल प्रमाणपत्र के साथ सरकारी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ 12वीं कक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए ; या<br>(ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्यूनिकेशन या इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा ; या<br>(iii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्प्यूटर साइंस या कम्यूनिकेशन या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री ; या<br>(iv) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातक डिग्री।<br>(ख) अनुभव –<br>(i) मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थान से नेटवर्किंग में 2 वर्ष का अनुभव।<br>**(ग) वांछनीय** –<br>(i) मान्यता प्राप्त सार्वजनिक संस्थान से 2 वर्षीय अनुभव के साथ सिस्को प्रमाणित नेटवर्क असोसिएट (सीसीएनए)<br>**टिप्पण 1**: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।<br>**टिप्पण 2**: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि हैं साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।<br>**टिप्पण 3**: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। |

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हैं तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा । |
|---|---|
| (12) | (13) |
| **समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित युक्त होगी :**<br>1. उप निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी –अध्यक्ष ।<br>2. सहायक निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी –सदस्य ।<br>3. प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 या ग्रेड–3, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी – सदस्य । | लागू नहीं होता। |

[फा.सं. 23011/44/2018–पीटी]
डी के घोष, अवर सचिव

New Delhi, the 30th December, 2020

**G.S.R. 209**.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Network Administrator in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad, under the Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Network Administrator), Recruitment Rules, 2020.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.—** The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.—** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the above said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen, the Other Backward class and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of post | Number of post | Classification | Level in the pay matrix | Whether selection post or non-selection post |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Network Administrator. | 03* (2020)<br>*(Subject to variation dependent on workload). | General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial. | Level-5 in the pay matrix (Rs.29,200 – 92,300) | Selection |

| Age-limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods |
|---|---|---|---|---|
| (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | By promotion failing which by deputation (including short-term contract) |

| In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made | If a Departmental Promotional Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| **Promotion:**<br>Data Entry Operator in level 4 in the pay matrix Rs.25,500-81,100 with five years regular service in the grade.<br>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.<br>**Deputation (including short-term contract) :**<br>Officer under the Central Government or State Governments :-<br>(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department,<br>or<br>(ii) with five years regular service as Date Entry Operator in level - 4 in the pay matrix (Rs.25,500 - 81,100/-) or equivalent in the parent cadre or Department and possessing the following educational qualifications and experience:-<br>**(a) Essential:**<br>(i) 12th Standard or equivalent pass with Science and Mathematics subjects from a Government recognised Board | **Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:**<br>1. Deputy Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy - Chairman;<br>2.Assistant Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy - Member;<br>3.Administrative Officer Grade-II or Grade –III, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy - Member. | Not applicable. |

| | | |
|---|---|---|
| with certificate in one year diploma in computer applications or department of electronics and accreditation of computer courses - A level from a Government Institution or Government recognised Institution; or<br>(ii) Diploma in Electronics and Communication or Information Technology from a recognised University; or<br>(iii) Bachelor Degree in Electronics or Computer Science or Communication or Information Technology from a recognised University; or<br>(iv) Bachelor degree in computer applications from a recognised University.<br>**(b) Experience:**<br>(i) two years experience in networking from recognised public institution.<br>**(c) Desirable:**<br>(i) Cisco certified network associate (CCNA) with two years experience from recognised public institution.<br>**Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.<br>**Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.<br>**Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications. | | |

[F.No. 23011/44/2018-PT]

D. K. GHOSH, Under Secy.

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**

**(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)**

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2020

**सा.का.नि. 210.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वनस्पति संरक्षण, संगरोध और संग्रह निदेशालय में अपर वनस्पति संरक्षण सलाहकार (वनस्पति संगरोध), भर्ती नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वनस्पति संरक्षण, संगरोध और संग्रह निदेशालय, अपर वनस्पति संरक्षण सलाहकार (वनस्पति संगरोध) फरीदाबाद भर्ती (संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वनस्पति संरक्षण, संगरोध और संग्रह निदेशालय, अपर वनस्पति संरक्षण सलाहकार (वनस्पति संगरोध), भर्ती नियम 2012 (जिन्हें इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-

2. **"पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ-2 से स्तंभ-4 में विनिर्दिष्ट है।"

3. उक्त नियमों की अनुसूची में,-

(क) स्तम्भ (4) में "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान" शब्द को "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) स्तम्भ (4) में प्रविष्टियों के लिए "स्तर-13 (123100-215900)" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी;

(ग) स्तम्भ (11) में,-

(i) उप-शीर्ष "प्रोन्नति" के तहत,-

(क) "वेतन बैंड-3: 15600-39100/- रुपये, ग्रेड वेतन 7600 रुपये" दोनों स्थानों पर आने वाले प्रविष्टियों के स्थान पर "स्तर-12 (78800-209200 रुपये)" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी;

(ख) "वेतन बैंड-3: 15600-39100/- रुपये + ग्रेड वेतन 6600/-रुपये" प्रविष्टि के स्थान पर "स्तर-11 (67700-208700 रुपये)" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएंगी;

(ग) 'टिप्पण 4' को हटा दिया जाएगा।

(ii) "प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है)" उप-शीर्ष के तहत,-

(क) "वेतन बैंड-3: 15600-39100/- रुपये + ग्रेड वेतन 7600/- रुपये" प्रविष्टि के स्थान पर "स्तर -12 (78800-209200 रुपये)" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जांएगी;

(ख) "वेतन बैंड-3: 15600-39100/- रुपये + ग्रेड वेतन 7600/- रुपये, 6600/- रुपये और 5400/- रुपये" प्रविष्टियों के स्थान पर "स्तर - 12 (78800-209200 रुपये), स्तर-11 (67700-208700 रुपये)" और स्तर-10 (56100-177050 रुपये)" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जांएगी;

(ग) 'टिप्पण 4' को हटा दिया जाएगा।

[मि.सं. 12018/05/2011–पीपी-स्था.]

आर.राजीव, अवर सचिव

**पाद टिप्पण:-** मूल भर्ती नियम तारीख 16 जून, 2012 के भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड-3, उपखंड(i) में तारीख 06 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 149 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

**MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**

**(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)**

New Delhi, the 10th December, 2020

**G.S.R. 210.—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Additional Plant Protection Adviser (Plant Quarantine) Recruitment Rules, 2012, namely :-

**1. Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Faridabad Additional Plant Protection Adviser (Plant Quarantine), Recruitment (Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Additional Plant Protection Adviser (Plant Quarantine) Recruitment Rules, 2012, (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

**2.** "**Number of Posts, Classification and Level in Pay Matrix**.— The number of said post, its classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules";

3. In the said rules, in the Schedule,-

a) in Column (4), for the words "Pay band and grade pay or pay scale", the words "Level in the Pay Matrix" shall be substituted;

b) for the entries under column (4), the entry "Level-13 (Rs.123100-215900)" shall be substituted;

c) in Column (11),-

(i) under the sub-heading "Promotion",-

(A) for the entry "pay band-3: Rs.15600-39100 with grade pay of Rs.7600", occurring at both the places, the entry "Level-12 (Rs.78800-209200)" shall be substituted;

B) for the entry "pay band-3: Rs.15600-39100 with grade pay of Rs.6600/-", the entry "Level-11 (Rs.67700-208700)" shall be substituted;

(C) "Note 4" shall be omitted;

(ii) under the sub-heading "Deputation (Including Short Term Contract)",-

A) for the entry "pay band-3: Rs.15600-39100 with grade pay of Rs.7600", the entry "Level-12 (Rs. 78800-209200)" shall be substituted;

B) for the entries "pay band-3: Rs.15600-39100 with grade pay of Rs.7600, Rs.6600 and Rs.5400", the entries "Level-12 (Rs.78800-209200), Level-11 (Rs.67700-208700) and Level-10 (Rs.56100-177500)" shall be substituted;

C) "Note 4" shall be omitted.

[F.No.12018/05/2011-PP-Estt. (Vol.II)]

R. RAJEEV, Under Secy.

**Foot Note:** The Principal recruitment rules were published vide notification number G.S.R. 149, dated 06th June, 2012 published in the Gazette of India, Part II, Section 3,Sub-section (i) dated 16th June, 2012.

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2020

**सा.का.नि. 211.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पादप संरक्षण, संगरोध और संग्रह निदेशालय, अपर पादप संरक्षण सलाहकार (समेकित नाशकजीव प्रबंधन) भर्ती नियम, 2010 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(**1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पादप संरक्षण, संगरोध एंव संग्रह निदेशालय में अपर पादप संरक्षण सलाहकार (समेकित नाशकजीव प्रबंधन) भर्ती (संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पादप संरक्षण, संगरोध एंव संग्रह निदेशालय, अपर पादप संरक्षण सलाहकार (समेकित नाशकजीव प्रबंधन) भर्ती नियम, 2010 में, नियम 2 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे अर्थात:-

"2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।"

3. पादप संरक्षण, संगरोध और संग्रह निदेशालय, अपर पादप संरक्षण सलाहकार (समेकित नाशकजीव प्रबंधन) भर्ती नियम 2010 की अनुसूची में-

(1) स्तम्भ (4) में, "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान" शब्दों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्द रखे जायेंगे;

(2) स्तम्भ (4) के अधीन में प्रविष्टियों के स्थान पर प्रविष्टियां "स्तर-13 (123100-215900)" रखी जाएंगी;

(3) स्तम्भ (12) में-

(क) "प्रोन्नति" उप-शीर्षक के तहत-

i. "वेतन बैंड-3: 15600-39100/- रुपये, ग्रेड वेतन 7600 रुपये" दोनों स्थानों पर आने वाले प्रविष्टियों के स्थान पर "स्तर-12 (78800-209200 रुपये)" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी;

ii. "वेतन बैंड-3: 15600-39100/- रुपये + ग्रेड वेतन 6600/-रुपये" प्रविष्टि के स्थान पर "स्तर-11 (67700-208700 रुपये)" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएंगी;

iii. 'टिप्पण 4' और टिप्पण से संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा।

(ख) "प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)" उप-शीर्ष के तहत,-

i. "वेतन बैंड-3: 15600-39100/- रुपये + ग्रेड वेतन 7600/- रुपये' प्रविष्टियों के स्थान पर "स्तर -12 (78800-209200 रुपये)" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जांएगी;

ii. 'टिप्पण 3' और टिप्पण से संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा।

[मि.सं.–13-6/2007– पीपी-II]

आर.राजीव, अवर सचिव

**पाद टिप्पण:-** मूल भर्ती नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड(i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 746(अ) तारीख 31 अगस्त, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 10th December, 2020

**G.S.R. 211.—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Additional Plant Protection Adviser (Integrated Pest Management) Recruitment Rules, 2010, namely :-

**1. Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Faridabad Additional Plant Protection Adviser (Integrated Pest Management), Recruitment (Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Additional Plant Protection Adviser (Integrated Pest Management) Recruitment Rules, 2010, for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

**2.** "**Number of Posts, Classification and Level in Pay Matrix**.— The number of said post, its classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules."

3. In the Schedule to the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Additional Plant Protection Adviser (Integrated Pest Management) Recruitment Rules, 2010,-

(1) in column (4), for the words "Pay band and grade pay or pay scale", the words "Level in the Pay Matrix" shall be substituted;

(2) for entries under column (4), the entries "Level 13 (Rs.123100-215900)" shall be substituted;

(3) in Column (12),-

(a) under the sub-heading "Promotion",-

(i) for the entries "Pay Band-3: Rs.15600-39100 plus Grade Pay of Rs.7600", occurring at both the places, the entry "Level-12 (Rs.78800-209200)" shall be substituted;

(iii) for the entries "Pay Band-3: Rs.15600-39100 plus Grade pay of Rs.6600/"- , the entries "Level 12 (Rs.67700-208700)" shall be substituted;

(iv) "Note 4" and the entries relating to the note shall be omitted.

(b) under the sub-heading "Deputation (Including Short Term Contract)",-

i) for existing entries "Pay Band-3: Rs.15600-39100 plus Grade Pay of Rs.7600", the entries "Level 12 (Rs.78800-209200)" shall be substituted;

ii) "Note 3" and the entries relating thereto shall be omitted.

[F.No.13-6/2007-PP-II]

R. RAJEEV, Under Secy.

**Foot Note:** The Principal recruitment rules were published vide notification number G.S.R. 746(E), dated the 31st August, 2010 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II , Section 3,Sub-section (i).

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर 2020

**सा.का.नि. 212.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और वर्षा सिंचित खेती प्रणाली प्रभाग समूह क पद भर्ती नियम 2015 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और वर्षा सिंचित खेती प्रणाली प्रभाग में समूह क पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और वर्षा सिंचित खेती प्रणाली प्रभाग (समूह क पद) भर्ती नियम 2020 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

**2. लागू होना.—** ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .—** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

**4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि .—** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

**5. निरर्हता.**—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया या विवाह की संविदा की है ;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया या विवाह की संविदा की है ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

**6. शिथिल करने की शक्ति.—** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोग सोवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

**7. व्यावृत्ति.—** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन या अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. अपर आयुक्त (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन/ वर्षा सिंचित खेती प्रणाली) | 5* (2020)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ' क ' राजपत्रित (अनुसचिवीय) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 13 (1,23,100-2,15,900 रु.) | चयन पद | लागू नहीं होता |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | **भर्ती की पद्धति;** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | (i) 60 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा<br>(ii) 40 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) |

| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| **प्रोन्नति:-** वेतन मैट्रिक्स के स्तर -12 (78,800-2,09,200 रु.) में ऐसा उप आयुक्त (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन/वर्षा सिंचित खेती प्रणाली) श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन या वर्षा सिंचित खेती प्रणाली के क्षेत्र में 2 से 4 सप्ताह का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया हो।<br>**टिप्पण 1-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।<br>**प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :-** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त या कानूनी संगठनों | **समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से बनकर बनेगी :**<br>1. अध्यक्ष या सदस्य संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष<br>2. संयुक्त सचिव (प्रशासन) – सदस्य<br>3. संयुक्त सचिव प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन/वर्षा सिंचित खेती प्रणाली – सदस्य | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। |

| | | |
|---|---|---|
| या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त **अनुसंधान संस्थानों के अधीन अधिकारी -**<br>(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों, और ;<br>(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और **अनुभव रखते हों अर्थात :-**<br>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सस्य विज्ञान एक विषय के रूप में या कृषि या कृषि विस्तार या कृषि अर्थशास्त्र या कृषि वनस्पति विज्ञान या वानिकी में मास्टर डिग्री अथवा कृषि इंजीनियरी में डिग्री ; और<br>(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभाग या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या परिषदों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त या कानूनी संगठनों में कृषि वानिकी परियोजनाओं सहित मृदा एवं जल संरक्षण और अथवा वर्षा सिंचित मृदा या समेकित खेती और अथवा मृदा सर्वेक्षण अथवा समस्या ग्रस्त मृदा सुधार और अथवा कृषि वानिकी सहित परियोजना प्रतिपादन में 12 वर्ष का अनुभव :<br><br>**वांछनीय :**<br>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आवश्यक अर्हताओं में उल्लिखित विषयों में डाक्टरेट डिग्री या कृषि इंजीनियरी में मास्टर डिग्री<br><br>**टिप्पण – 1** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।<br><br>**टिप्पण 2** : प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।<br><br>**टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. उप आयुक्त (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और वर्षा सिंचित खेती प्रणाली) | 7* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ' क ' राजपत्रित (अनुसचिवीय) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर -12 (78,800-2,09,200 रू.) | चयन पद | 50 वर्ष से अधिक नहीं<br>(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)<br>**टिप्पण 1:-** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र या लद्दाख के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) |

| (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|
| **आवश्यक :-**<br>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सस्य विज्ञान या सस्य विज्ञान एक विषय के रूप में या कृषि रसायन विज्ञान या मृदा विज्ञान या कृषि विस्तार या कृषि अर्थशास्त्र या कृषि वनस्पति विज्ञान या वानिकी में मास्टर डिग्री अथवा कृषि इंजीनियरी में डिग्री ; और<br>(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभागों या संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या परिषदों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त | लागू नहीं होता | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 1 वर्ष | (i) 60 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)<br>(ii) 40 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा |

| | | | |
|---|---|---|---|
| या कानूनी संगठनों में कृषि वानिकी परियोजनाओं सहित मृदा एवं जल संरक्षण और अथवा वर्षा सिंचित मृदा या समेकित खेती और अथवा मृदा सर्वेक्षण अथवा समस्या ग्रस्त मृदा सुधार और अथवा कृषि वानिकी सहित परियोजना प्रतिपादन में 10 वर्ष का अनुभव :<br>**वांछनीय :**<br>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आवश्यक अर्हताओं में उल्लिखित विषयों में से किसी विषय में डाक्टरेट डिग्री या कृषि इंजीनियरी में मास्टर डिग्री | | | |

| (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|
| **प्रोन्नतिः-** वेतन मैट्रिक्स के स्तर -11 (67,700-2,08,700 रु.) में ऐसा सहायक आयुक्त (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन/वर्षा सिंचित खेती प्रणाली) 5 वर्ष नियमित सेवा की हो और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन या वर्षा सिंचित खेती प्रणाली के क्षेत्र में 2 से 4 सप्ताह का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया हो।<br>**टिप्पण 1-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।<br>**टिप्पण :** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा | **समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से बनकर बनेगी :**<br>1. अध्यक्ष या सदस्य संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष<br>2. संयुक्त सचिव (प्रशासन) – सदस्य<br>3. संयुक्त सचिव (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन/वर्षा सिंचित खेती प्रणाली) – सदस्य<br>**समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से बनकर बनेगी** :<br>1. अपर सचिव (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन/वर्षा सिंचित खेती प्रणाली) - अध्यक्ष<br>2. संयुक्त सचिव (प्रशासन) – सदस्य<br>3 संयुक्त सचिव (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन/वर्षा सिंचित खेती प्रणाली) – सदस्य | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। |

| | | |
|---|---|---|
| सहित) :-<br>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या संस्थानों के अधीन अधिकारी -<br>(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों,<br>(ii मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -11 (67,700-2,08,700 रु.) या समतुल्य नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो ; और<br>(ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :-<br>**टिप्पण – 1** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।<br>**टिप्पण :** प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।<br>**टिप्पण :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. सहायक आयुक्त (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और वर्षा सिंचित खेती प्रणाली) | 7* (2018)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ' क ' राजपत्रित (अनुसचिवीय) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर -11 (67,700-2,08,700 रू.) | चयन पद | 40 वर्ष से अधिक नहीं<br>(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **टिप्पण 1:-** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र या लद्दाख के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) |

| (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|
| **आवश्यक :-**<br>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सस्य विज्ञान या सस्य विज्ञान एक विषय के रूप में या कृषि रसायन विज्ञान या मृदा विज्ञान या कृषि विस्तार या कृषि अर्थशास्त्र या कृषि वनस्पति विज्ञान या वानिकी में मास्टर डिग्री अथवा कृषि इंजीनियरी में डिग्री ; और<br>(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभागों या संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या परिषदों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त या कानूनी संगठनों में कृषि वानिकी परियोजनाओं सहित मृदा एवं जल संरक्षण और अथवा वर्षा सिंचित या समेकित खेती और अथवा मृदा सर्वेक्षण अथवा समस्या ग्रस्त मृदा सुधार और अथवा कृषि वानिकी सहित | **आयु** : लागू नहीं होता<br>**अर्हताएं** :लागू नहीं होती | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए वर्ष 1 | (i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)<br>(ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा |

| | | | |
|---|---|---|---|
| परियोजना प्रतिपादन में 5 वर्ष का अनुभव :<br>**वांछनीय :**<br>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आवश्यक अर्हताओं में उल्लिखित विषयों में से किसी विषय में डाक्टरेट डिग्री या कृषि इंजीनियरी में मास्टर डिग्री | | | |

| (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|
| **प्रोन्नति:-** वेतन मैट्रिक्स के स्तर -10 में ऐसा सहायक आयुक्त (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन/वर्षा सिंचित खेती प्रणाली) जिसमें 5 वर्ष नियमित सेवा की हो और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन या वर्षा सिंचित खेती प्रणाली के क्षेत्र में 2 से 4 सप्ताह का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया हो।<br><br>**टिप्पण 1-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।<br><br>**टिप्पण : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :-**<br>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या संस्थानों के अधीन अधिकारी -<br>(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों, | **समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से बनकर बनेगी :**<br>1. अपर सचिव प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन/वर्षा सिंचित खेती प्रणाली) - अध्यक्ष<br>2. संयुक्त सचिव (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन/वर्षा सिंचित खेती प्रणाली) – सदस्य<br>3. संयुक्त सचिव (प्रशासन) – सदस्य<br>4. निदेशक (कार्मिक) या उप सचिव (कार्मिक) – सदस्य<br>**समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से बनकर बनेगी :**<br>1. संयुक्त सचिव (प्रशासन) - अध्यक्ष<br>2. संयुक्त सचिव (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन/वर्षा सिंचित खेती प्रणाली) – सदस्य<br>3 निदेशक (कार्मिक) या उप सचिव (कार्मिक) – सदस्य | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। |

| | | |
|---|---|---|
| (ii मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -10 (56,100-1,77,500 रु.) या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो ; और<br>(ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :-<br>**टिप्पण** – 1 पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।<br>**टिप्पण** : प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।<br>**टिप्पण** : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.सहायक मृदा संरक्षण अधिकारी (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और वर्षा सिंचित खेती प्रणाली) | 7* (2018)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ' क ' राजपत्रित (अनुसचिवीय) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर -11 (56,100-1,77,500 रु.) | चयन पद | 35 वर्ष से अधिक नहीं<br>(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)<br>**टिप्पण 1:-** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र या लद्दाख के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) |

| (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|
| **आवश्यक :-**<br><br>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सस्य विज्ञान या सस्य विज्ञान एक विषय के रूप में या कृषि रसायन विज्ञान या मृदा विज्ञान या कृषि विस्तार या कृषि अर्थशास्त्र या कृषि वनस्पति विज्ञान या वानिकी में मास्टर डिग्री अथवा कृषि इंजीनियरी में डिग्री ;<br><br>(ii) मृदा और जल संरक्षण या वर्षा सिंचित या समेकित खेती तथा मृदा सर्वेक्षण अथवा समस्या ग्रस्त मृदा सुधार और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभागों या संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन या मान्यता प्राप्त संस्थान परिषद, कृषि विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त या कानूनी संगठनों में कृषि वानिकी परियोजनाओं सहित परियोजना प्रतिपादन के क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव<br><br>**टिप्पण :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के | आयु : लागू नहीं होता<br><br>अर्हताएं :लागू नहीं होती | सीधे भर्ती के लिए 1 वर्ष<br>**टिप्पण :** सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए 1 वर्ष की परिवीक्षा अवधि एक वर्ष की अवधि जिसमें 2 सप्ताहों की अवधि का आवश्यक प्रेरक प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना भी सम्मिलित होगा। | (i) 30 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा<br>(ii)70 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा |

| | | | |
|---|---|---|---|
| किसी प्रक्रम पर केंद्रीय संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थीयों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। | | | |

| (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|
| **प्रोन्नति:-** वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (44,900-1,42,400 रु.) में ऐसा वरिष्ठ तकनीकी सहायक उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की हो और भारतीय अनुसंधान परिषद अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन या वर्षा सिंचित खेती प्रणाली के क्षेत्र में 2 से 4 सप्ताह का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया हो।<br><br>**टिप्पण 1-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।<br><br>**टिप्पण :** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :-<br>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी -<br>(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में | **समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से बनकर बनेगी :**<br>1. अध्यक्ष या सदस्य संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष<br>2. संयुक्त सचिव (प्रशासन) – सदस्य<br>3. संयुक्त सचिव (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन/वर्षा सिंचित खेती प्रणाली) – सदस्य<br>**समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :**<br>1. संयुक्त सचिव (प्रशासन) - अध्यक्ष<br>2. संयुक्त सचिव (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन/वर्षा सिंचित खेती प्रणाली – सदस्य<br>3. निदेशक या उप सचिव (कार्मिक) – सदस्य | प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। |

| | | |
|---|---|---|
| नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों, या<br>(ii वेतन मैट्रिक्स के स्तर -8 (47,600-1,51,100 रु.) या समतुल्य के पद में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में 2 वर्ष नियमित सेवा की हो ;<br>(ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :-<br>**टिप्पण – 1** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।<br>**टिप्पण 2** : प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।<br>**टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। | | |

[मि.सं. 12018/07/2010-E-II]

एम.के.पाठक, अवर सचिव

New Delhi, the 10th December, 2020

**G.S.R. 212.—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Natural Resource Management and Rainfed Farming System Division, Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2015 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A' posts in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Natural Resource Management and Rainfed Farming System Division, namely:-

**1. Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Natural Resource Management and Rainfed Farming System Division, (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Application.—** These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.—** The number of said posts, their classification and level in pay matrix relating thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualifications.—** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.—** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other backward classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of post | Number of posts | Classification | Level in the pay matrix | Whether selection post or non-selection post | Age limit for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. Additional Commissioner (Natural Resource Management/ Rainfed Farming System). | 5* (2020) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-ministerial. | Level 13 (Rs.1,23,100 – 2,15,900/-) | Selection post | Not applicable |

| Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods |
|---|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| Not applicable | Not applicable | Not applicable | (i) 60% by promotion failing which by deputation (including short-term contract);<br>(ii) 40% by deputation (including short-term contract). |

| In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made. | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| **Promotion:**<br>Deputy Commissioner (Natural Resource Management/Rainfed Farming System) in level-12 (Rs.78,800 -2,09,200/-) in the pay matrix with five years regular service in the grade and have successfully undergone two-to-four weeks training in the field or area of natural resources management or rainfed farming system in the Indian Council of Agricultural Research or any other recognised institution.<br><br>**Note** : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.<br><br>**Deputation (including short-term contract):**<br>Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or public sector undertakings or semi-Government or autonomous or statutory organisations or agricultural universities or recognised research institutions:-<br><br>(A)(I) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or<br>(II) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-12 (Rs.78,800 -2,09,200/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and<br><br>(B) possessing the following educational qualifications and experience, namely :-<br>Essential: (I) Master's Degree in | **Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:**<br><br>(1) Chairman or Member, Union Public Service Commission -Chairman;<br>(2) Joint Secretary (Administration) -Member;<br>(3) Joint Secretary (Natural Resource Management / Rainfed Farming System) - Member. | Consultation with Union Public Service Commission is necessary. |

| | | |
|---|---|---|
| Agronomy or Agriculture with Agronomy as a subject or Agricultural Chemistry or Soil Science or Agricultural Extension or Agricultural Economics or Agricultural Botany or Master's Degree in Forestry or Botany or Bachelor's Degree in Agricultural Engineering from a recognised University or institute; and<br>(II) twelve years experience in the field of soil and water conservation or soil health management or rainfed or integrated farming or soil survey or problem soil reclamation or project formulation including agro-forestry projects in Central or State Government departments or Union territory Administrations or agricultural universities or recognised research institutions or public sector undertakings or semi-Government or autonomous or statutory organisations.<br><br>**Desirable:** Doctorate Degree in any of the subjects mentioned in essential qualifications or Master Degree in Agricultural Engineering from a recognised University or institute.<br><br>**Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.<br><br>**Note 2**: Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years.<br><br>**Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Deputy Commissioner (Natural Resource Management/ Rainfed Farming System) | 7* (2018) *Subject to variation dependent on workload | General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-ministerial | Level 12 (Rs.78,800 -2,09,200/-) | Selection post | Not exceeding fifty years. (relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by central Government)<br>**Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himakchal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep or Ladakh). |

| (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|
| **Essential:**<br>(I) Master's Degree in Agronomy or Agriculture with Agronomy as a subject or Agricultural Chemistry or Soil Science or Agricultural Extension or Agricultural Economics or Agricultural Botany or Master's Degree in Forestry or Botany or Bachelor's Degree in Agricultural Engineering from a recognised University or institute; and<br>(II) ten years experience in the field of soil and water conservation or soil health management or rainfed or integrated farming and or soil survey or problem soil reclamation or project formulation including agro-forestry projects in Central or State Government departments or Union territory Administrations or recognised research institutions or agricultural | Not applicable | One year for direct recruit. | (i) 60% by promotion failing which by deputation (including short-term contract);<br><br>(ii) 40% by deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| universities or public sector undertakings or semi-Government or autonomous or statutory organisations.<br>**Desirable:**<br>Doctorate Degree in any of the disciplines mentioned in essential qualifications or Masters Degree in Agricultural Engineering from a recognised University or institute. | | | |

| (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|
| **Promotion:**<br>Assistant Commissioner (Natural Resource Management/Rainfed Farming System) in level 11 (Rs.67,700-208700/-) in the pay matrix with five years regular service in the grade and have successfully undergone two-to-four weeks training in natural resources management or rainfed farming system in the Indian Council of Agricultural Research or any other recognised institution.<br><br>**Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.<br><br>**Deputation (including short-term contract):**<br>Officers under the Central Government or State Governments or Union territories Administration or agricultural universities or recognised research institutions or public sector undertakings or semi-Government or autonomous or statutory organisations or institutions:-<br>(A)(I) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or<br>(II) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 11(Rs.67,700-208700/-) in the pay matrix or equivalent in the parent | **Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of**:<br>(1) Chairman or Member, Union Public Service Commission -Chairman;<br>(2) Joint Secretary (Administration) -Member;<br>(3) Joint Secretary (Natural Resource Management/Rainfed Farming System) -Member.<br><br>Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:<br>(1) Additional Secretary (Natural Resource Management/Rainfed Farming System) -Chairman;<br>(2) Joint Secretary (Administration) - Member.<br>(3) Joint Secretary (Natural Resource Management/Rainfed Farming System) -Member | Consultation with Union Public Service Commission is necessary. |

| | | |
|---|---|---|
| cadre or department; and<br>(B) possessing the following educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.-<br><br>**Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.<br><br>**Note 2:** Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years.<br><br>**Note 3**: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application. | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.Assistant Commissioner (Natural Resource Management/Rainfed Farming System). | 7* (2018)<br>*Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-ministerial. | Level-11 (Rs.67,700 - 2,08,700/-) | Selection post. | Not exceeding forty years. (relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by central Government)<br><br>**Note**: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himakchal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep or Ladakh). |

| (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|
| **Essential:**<br>(I) Master's degree in Agronomy or Agriculture with Agronomy as a subject or Agricultural Chemistry or Soil Science or Agricultural Extension or Agricultural Economics or Agricultural Botany or Master's degree in Botany or Forestry or Bachelor's Degree in Agricultural Engineering from a recognised University or institute;<br>(II) five years experience in the field of soil and water conservation or soil health management or rainfed or integrated farming and soil survey or problem soil reclamation and project formulation including agro-forestry projects in Central or State Government department or Union territory Administration or recognised research institution or agricultural university or public sector undertaking or semi-Government or autonomous or statutory organisation.<br><br>**Desirable:** Doctorate degree in any of the disciplines mentioned under essential qualification or Master's degree in Agricultural Engineering from a recognised University or institution. | Age: Not applicable<br><br>Educational Qualification: Not applicable | One year for direct recruit. | (i) 50% by promotion failing which by deputation(including short-term contract);<br>(ii) 50% by direct recruitment. |

| (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|
| **Promotion:**<br>Assistant Soil Conservation Officer (Natural Resource Management/ Rainfed Farming System) in level 10 (Rs.56,100 – 1,77,500/-)in the pay matrix with five years regular service in the grade and have successfully undergone two-to-four weeks training in natural resources management or rainfed farming system in the Indian Council of Agricultural Research or in any other recognised institution.<br><br>**Note** : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. | **Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:**<br>(1) Additional Secretary (Natural Resource Management/Rainfed Farming System) -Chairman;<br>(2) Joint Secretary (Natural Resource Management/Rainfed Farming System) -Member;<br>(3) Joint Secretary (Administration) -Member;<br>(4) Director (Personnel) or Deputy Secretary(Personnel) -Member.<br><br>**Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:**<br>(1) Joint Secretary (Administration) -Chairman;<br>(2) Joint Secretary (Natural Resource Management/Rainfed Farming System) -Member;<br>(3) Director or Deputy Secretary (Personnel) - Member. | Consultation with Union Public Service Commission necessary for making direct recruitment and deputation(including short-term contract). |

| | | |
|---|---|---|
| **Deputation (including short-term contract):**<br>Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or public sector undertakings or agricultural universities or recognised research institutions or semi-Government or autonomous bodies or statutory organisations :-<br>(A)(I) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or<br>(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-10 (Rs.56,100 – 1,77,500/-)in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department and<br>(B) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7)<br><br>**Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.<br><br>**Note 2:** Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.<br><br>**Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application. | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. Assistant Soil Conservation Officer (Natural Resource Management/Rainfed Farming System). | 7* (2018)<br>*Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-ministerial. | Level 10 (Rs.56,100 – 1,77,500/-) | Selection post. | Not exceeding thirty-five years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).<br><br>**Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himakchal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep or Ladakh). |

| (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|
| **Essential:**<br>(I) Master's degree in Agronomy or Agriculture with Agronomy as a subject or Agricultural Chemistry or Soil Science or Agricultural Extension or Agricultural Economics or Agricultural Botany or Master's degree in Botany or Forestry or Bachelor's Degree in Agricultural Engineering from a recognised University or institute; and<br>(II) possessing three years experience in the field of soil and water conservation or soil health management or rainfed or integrated farming and soil survey or problem soil reclamation and project formulation including agro-forestry projects in Central or State Government department or Union territory Administration or recognised research institution or agricultural university or public sector undertaking or semi-Government or autonomous or statutory organisation.<br>**Note :** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. | **Age:** Not applicable<br>Educational qualifications: Not applicable | One year for direct recruits.<br>**Note:** The probation period of one year for direct recruits shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration. | (i) 30% by promotion failing which by deputation (including short-term contract);<br>(ii) 70% by direct recruitment. |

| (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|
| **Promotion:**<br>Senior Technical Assistant Grade-I (Soil Conservation) in Level-7 (Rs.44,700-1,42,400/-)in the Pay Matrix with three years regular service in the grade and have successfully undergone two to four weeks training in natural resources | **Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:**<br>(1) Chairman or Member, Union Public Service Commission -Chairman;<br>(2) Joint Secretary (Administration) -Member; | Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion. |

| | | |
|---|---|---|
| management or rainfed farming system in Indian Council of Agricultural Research or in any other recognised institution.<br><br>**Note** : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.<br><br>**Deputation (including short-term contract):**<br>Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or public sector undertakings or agricultural universities or recognised research institutions or semi-Government or autonomous bodies or statutory organisations :-<br>(A)(I) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or<br>(II) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-8 (Rs.47,600–1,51,100/-)in the Pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and<br>(B) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).<br><br>**Note 1**: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.<br><br>**Note 2:** Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. | (3) Joint Secretary (Natural Resource Management/Rainfed Farming System)-Member.<br><br>**Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:**<br><br>(1) Joint Secretary (Administration) -Chairman;<br><br>(2) Joint Secretary (Natural Resource Management/Rainfed Farming System)-Member;<br><br>(3) Director or Deputy Secretary (Personnel) - Member. | |

| | | |
|---|---|---|
| **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application. | | |

[F.No. 12018/07/2010-E-II]

M.K.PATHAK, Under Secy.

---

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2020

**सा.का.नि. 213.—**राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का (स्वच्छता निरीक्षक) भर्ती नियम, 2001 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का, ओड़िसा में स्वच्छता निरीक्षक पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

**1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुंसधान संस्थान, आस्का, ओड़िसा, स्वच्छता निरीक्षक, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2020 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

**2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त /पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

**4. निरर्हता-** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

**5. शिथिल करने की शक्ति -** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

**6. व्यावृत्ति -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

**अनुसूची**

| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन पद है अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| स्वच्छता निरीक्षक । | 01*<br>(2020)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय। | वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25,500-81,100 रु.) | लागू नहीं होता । | 18 से 25* वर्ष के बीच ।<br>*18 से 27 वर्ष के बीच, यदि भर्ती अखिल भारतीय ओपन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होती है ।<br>(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)<br>**टिप्पण 1 :-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अदंमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)<br>**टिप्पण 2 :-** रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यार्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। | (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से मैट्रीकुलेशन या इसके समकक्ष पास हो; और<br>(ii) मान्यताप्राप्त संस्थान से एक वर्ष की अवधि का स्वच्छता निरीक्षक के प्रशिक्षण में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र<br>**टिप्पण:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। |

| सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | **भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| लागू नहीं होता। | दो वर्ष। | शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।<br>**टिप्पण:-** पदधारी की नियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों मैं एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा भरी जा सकेगी।<br>(क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या जो वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 या इसके सदृश पांच वर्ष की नियमित सेवा किया हो; और<br>(ख) जिनके पास सीधी भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए स्तंभ 7 के अधीन विहित अर्हता है। | लागू नहीं होता। | **समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-**<br>1. क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुंसधान संस्थान, आस्का के निदेशक -अध्यक्ष<br>2. क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुंसधान संस्थान, आस्का के मुख्य चिकित्सा अधिकारी -सदस्य<br>3. क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुंसधान संस्थान, आस्का के ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी -सदस्य<br>4. क्षेत्र का कोई अन्य केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार का राजपत्रित अधिकारी-सदस्य | लागू नहीं होता। |

[फा. सं. ए-12018/38/2018-Lep]

बैद्यनाथ प्रसाद, अवर सचिव

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 3rd December, 2020

**G.S.R. 213 .—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska (Sanitary Inspector) Recruitment Rules, 2001, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Sanitary Inspector in the Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska, Odisha, namely:-

**1. Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska, Odisha, Sanitary Inspector (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification and level in pay matrix.—**The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

**3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

**4. Disqualification.—** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person ;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of the rule.

**5. Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

### SCHEDULE

| Name of post | Number of post | Classification | Level in pay matrix | Whether selection post or non-selection post | Age-limit for direct recruitment |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Sanitary Inspector | 1*(2020) *(Subject to variation dependent on workload) | General Central Service, Group – 'C', Non-gazetted, Non-Ministerial | Level-4, in the pay matrix (Rs.25,500-81,100) | Not applicable | Between 18 to 25* years.<br><br>* Between 18 to 27 years in case the recruitment is made through all India open competitive examination.<br><br>(relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)<br>**Note 1.-** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union Territory of Laddakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh and Union Territories of Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).<br><br>**Note 2.-** In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date up to which Employment Exchange is asked to submit the names. |

| Educational qualifications required for direct recruits | Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion | Period of probation, if any | Method of recruitment whether by direct or by promotion or by deputation and percentage of the post to be filled by various methods |
|---|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| **Essential:**<br>(i) Passed Matriculation or equivalent from a recognized board or university; and<br>(ii) Diploma or Certificate in Sanitary Inspector's Training of duration of one year from a recognized Institute.<br><br>**Note.-**<br><br>Qualification(s) is/are relaxable at the discretion of the Competent Authority in case candidate is otherwise well qualified. | Not applicable | Two years | 100 percent by direct recruitment<br><br>**Note.-** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under any other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from amongst officers of the Central Government holdings:-<br><br>(a) analogous post on regular basis; or<br>post in the pay matrix level-3 or equivalent with 5 years regular service in the grade; and<br>(b) Possessing the qualification prescribed for direct recruits under Column No. 7. |

| In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or absorption to be made | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| Not applicable | **Group-C-Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-**<br>1. Director of Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska - Chairman<br>2. Chief Medical Officer of Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska - Member<br>3. Senior Medical Officer of Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska -Member<br>4. A Gazetted officer from another central or State Government office in the area -Member | Not applicable |

[F. No. A-12018/38/2018-Lep]

BAIDYANATH PRASAD, Under Secy.

---

## वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2019

**सा.का.नि. 214** .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वस्त्र आयुक्त कार्यालय समूह "ग" और समूह "घ" अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1989 को, जहाँ तक उसका संबंध आशुलिपिक श्रेणी-1/ रिपोर्टर पद से हैं,उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वस्त्र मंत्रालय के वस्त्र आयुक्त कार्यालय में आशुलिपिक श्रेणी-1 पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .— (1)** इस नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र मंत्रालय, वस्त्र आयुक्त कार्यालय, आशुलिपिक श्रेणी-1 (समूह "ख" अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2019 है

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. **पदों की संख्या वर्गीकरण, पे मेट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन-मेट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबध्द अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनूसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता हैं कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबध्द करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा मे छूट और अन्य रियातयों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय –समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

| पदनाम | पद संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन या अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु-सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| आशुलिपिक श्रेणी-I | 22 * (2019) - (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ) | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह “ख” अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6 (35,400-1,12,400 रु.) | चयन | लागू नहीं होता |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | **भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की पद्धति |
|---|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष | 1. 25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा और ऐसा न होने पर अल्प अवधि के सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा ।<br>2. 75 प्रतिशत अल्प अवधि के अनुबंध सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा । |

| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिन से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा |
|---|
| (11) |
| **पदोन्नति :**<br>वेतन मेट्रिक्स के स्तर चार वेतन मान रु. 25,500-81,100 में ऐसा आशुलिपिक श्रेणी-II जिसने श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो।<br>**टिप्पणी :** जहां कनिष्ठ जिन्होंने उनकी अर्हक सेवा अथवा पात्रता सेवा प्रोन्नति के लिए पूरी कर ली हो, उनकी पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा । इस के साथ ही उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते उनकी अर्हक सेवा की पात्रता अथवा आवश्यक सेवा अवधि या दो वर्ष की सेवा पूरी करते हों, इनमें से कोई भी कम न हो, एवं उन्होंने उनकी अगले पद पर पदोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो और उनके कनिष्ठ जिन्होंने पहले ही अर्हक सेवा अथवा पात्रता पूरी कर ली है उनकी पदोन्नति पर एक साथ विचार किया जाएगा । |

**प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :**

केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ शासित प्रशासन अथवा स्वायत्त या कानूनी संगठन अथवा पब्लिक सैक्टर के उपक्रम अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों में कार्यरत आशुलिपिक :

(क) (i)मूल कैडर अथवा विभाग में समतुल्य पद नियमित आधार पर धारित किया हो; अथवा

(ii) नियुक्ति के उपरांत क्रमश:वेतन मेटिक्स के स्तर पांच वेतनमान 29,200-92,300 मे छह वर्ष अथवा स्तर चार वेतनमान 25,500-81,100 मे दस वर्ष की नियमित सेवा की हो ।

**टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है,प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नही होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

**टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिस के अंतर्गत अल्प कालिक संविदा भी हैं) जिस के अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नही होगी ।

**टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति (जिस के अंतर्गत अल्प कालिक संविदा भी हैं) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु: सीमा आवेदन प्राप्ति की आखरी तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या हैं | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामार्श किया जाएगा। |
|---|---|
| (12) | (13) |
| **विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-**<br>1. प्रशासन के प्रभारी अतिरिक्त/संयुक्त वस्त्र आयुक्त - अध्यक्ष<br>2. प्रशासन के प्रभारी निदेशक अथवा उपनिदेशक (गैर-तकनीकी) – सदस्य<br>3. वस्त्र मंत्रालय के अवर सचिव, जो वस्त्र आयुक्त कार्यालय, मुंबई के प्रशासनिक मामले को संभालते हैं – सदस्य<br>**विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी–**<br>1. प्रशासन के प्रभारी अपर/संयुक्त वस्त्र आयुक्त - अध्यक्ष<br>2. प्रशासन के प्रभारी निदेशक अथवा उपनिदेशक (गैर-तकनीकी) – सदस्य<br>3. वस्त्र मंत्रालय के अवर सचिव, जो वस्त्र आयुक्त कार्यालय, मुंबई के प्रशासनिक मामले को संभालते हैं – सदस्य | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं हैं । |

[फा. सं. क-46013/19/2015-स्थापना]

जयश्री शिवकुमार, अवर सचिव

## MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 9th December, 2019

**G.S.R. 214 .—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the **Office of the Textile Commissioner (Group 'C' and'D', Non-Gazetted Posts), Recruitment Rules, 1989** in so far as they relate to the post of **Stenographer Grade I/Reporter,** except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of **Stenographer Grade-I** in the Office of the Textile Commissioner, Ministry of Textiles, namely:-

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Office of the Textile Commissioner, Stenographer Grade-I (Group 'B' Post)Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in pay matrix.—**The number of the said post, its classification, level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in the columns (2) to (4) of the schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said schedule.

4. **Disqualification.—**No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of post | Number of post | Classification | Level in Pay matrix | Whether selection or non selection post | Age-limit for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Stenographer Grade-I | 22*<br>(2019)<br>*(Subject to variation dependent on workload). | General Central Service Group ‘B’,Non-Gazetted, Non-Ministerial. | Level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400). | Selection | Not applicable |

| Educational and other qualification required for direct recruits | Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, If any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption of the vacancies to be filled by various methods |
|---|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| Not applicable | Not applicable | Two Years for promotees | Twenty five percent by promotion failing which by deputation including short-term contract.,<br>Seventy five percent by deputation including short-term contract. |

| In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made. | If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition. | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| **Promotion:**<br>Stenographer Grade-II in level-4 in pay matrix (Rs.25,500-81,100) with ten years regular service in the grade.<br><br>**Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are | **Departmental promotion committee: (for considering promotion) consisting of :**<br><br>(1) Additional/Joint Textile Commissioner (In-charge of Administration) -Chairman | Consultation with Union Public Service Commission is not necessary. |

| | | |
|---|---|---|
| being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.<br><br>Deputation (Including short term contract): Stenographers working in Central Government or State Government or Union Territories or autonomous or statutory organization or public sector undertakings or University or recognized research institution:<br><br>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or<br><br>(ii) with six or ten years of regular service in level-5(29200-92300) or level-4(25500-81100) respectively in pay matrix.<br><br>**Note 1 :** The Departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.<br><br>**Note 2:** Period of Deputation (ISTC) including period of Deputation (ISTC) in another Ex- Cadre post held immediately preceding this appointment in the same or same other organization/department of the Central Govt. shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. | (2) Director/Deputy Director (Non -Technical) (in charge of Administration) - Member<br><br>(3) Under Secretary M/o Textile (handling the Administrative matter of office of the Textile Commissioner, Mumbai -Member<br><br>**Departmental confirmation committee for considering confirmation (consisting of)**<br><br>(1) Additional/Joint Textile Commission-in charge of Administration -Chairman<br><br>(2) Director/Deputy Director (Non -Technical) -in charge of Administration -Member<br><br>(3) Under Secretary M/o Textile (handling the Administrative matter of office of the Textile Commissioner, Mumbai -Member | |

[F. No. 46013/19/2015-Establishment]

JAYASHREE SIVAKUMAR, Under Secy.

---

## विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

### (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2020

**सा.का.नि.215** .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (समूह 'ग' और 'घ' पद) भर्ती नियम, 2001, को जहां तक कि उनका संबंध गेस्टेटनर प्रचालक

(ज्येष्ठ) केपदसे है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में गेस्टेटनर प्रचालक (ज्येष्ठ) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियम करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, गेस्टेटनर प्रचालक (ज्येष्ठ), समूह'ग' पद भर्ती नियम 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स मे स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि**.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ(13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**.—वह व्यक्ति---

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नही होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**.—जहॉं केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिये जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन पद है या अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु सीमा | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| गेस्टेटनर प्रचालक (ज्येष्ठ) | 01* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स में स्तर (19900-63200 रु.) | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | **भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रतिनियुक्ति द्वारा |

| प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जायेगा |
|---|
| (11) |
| **प्रतिनियुक्ति :-**<br>वेतन मैट्रिक्स स्तर 1 (18000-56900 रु.) में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में ऐसे बहुकार्य कर्मचारीवृंद जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात तीन वर्ष की सेवा की है।<br>आवश्यक : फोटोकॉपी, स्केनिंग और फैक्स मशीन के प्रचालन में कम से कम दो वर्ष का अनुभव।<br>**आवश्यक:**<br>**1.**आपरेटिंग फोटोकॉपी, स्केनिंग और फैक्स मशीन कम से कम दो वर्ष का अनुभव।<br>**2.**लेखा कार्य करने और सामग्री खपाने, डुप्लीकेटिंग पेपर, फैक्स, स्कैनिंग और प्रिंटिंग को रखने की योग्यता।<br>**वांछनीय :-**<br>बेसिक कंम्पयुटर प्रचालन या प्रस्संकरणों का ज्ञान<br>**टिप्पण-1 :-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।<br>**टिप्पण -2 :-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। |

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|
| (12) | (13) |
| **समूह 'ग' विभागीय चयनसमिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:-**<br>(1) निदेशक (प्रशासन) -अध्यक्ष<br>(2)अवर सचिव (प्रशासन) - सदस्य<br>(3) अवर सचिव - सदस्य | लागू नहीं होता। |

[फा. सं.ए-12018/02/2018]-प्रशा.1 (बी)

बी.के.पी अंगम, अवर सचिव

## MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

### (Department of Science and Technology)

New Delhi, the 11th December, 2020

**G.S.R. 215.—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Science and Technology (Group 'C' and 'D' posts) Recruitment Rules, 2001, in so far as they relate to the post of Gestetner Operator (Senior), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of

Gestetner Operator (Senior) in the Ministry of Science and Technology, Department of Science and Technology, namely:-

**1. Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Science and Technology, Department of Science and Technology, Gestetner Operator (Senior), Group 'C' Post Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification and level in pay matrix**. - The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** – The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

**4. Disqualification.–** No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of post | Number of post | Classification | Level in pay matrix | Whether selection post or non-selection post | Age-limit for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Gestetner Operator (Senior) | 01* (2020)<br>*Subject to variation dependent on workload | General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial | Level 2 in the pay matrix (Rs. 19900 – 63200) | Not applicable | Not applicable |

| Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any |
|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) |
| Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and the percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made. |
|---|---|
| (10) | (11) |
| By deputation | **Deputation:**<br><br>Multi Tasking Staff in the Department of Science and Technology with three years' service in level 1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) rendered after appointment thereto on regular basis.<br>Essential:<br>1. Not less than two years' experience of operating photocopy, scanning and fax machine.<br><br>2. Ability to maintain accounts of work done and material consumed, duplicating paper, fax, scanning and printing.<br><br>**Desirable:**<br><br>Knowledge of basic computer operations or functions.<br><br>**Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.<br><br>**Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the closing date for receipt of applications. |

| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|
| (12) | (13) |
| **Group 'C' Departmental Selection Committee consisting of:**<br><br>(i) Director (Administration) –Chairman<br><br>(ii) Under Secretary (Administration) -Member<br><br>(iii) Under Secretary -Member | Not applicable. |

[F. No. A-12018/02/2018-Admn. I (B)]

B. K. P. ANGAM, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2020

**सा.का.नि. 216.—**राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन **(निदेशक) भर्ती** नियम, 2019 के नियमों का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन (निदेशक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन (निदेशक) भर्ती नियम, 2019 में, अनुसूची के स्तम्भ (7) की प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात:-

**आवश्यक:**

(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भूगोल में मास्टर डिग्री के साथ, भूगोल में डाक्टरेट की उपाधि।

(ii) कार्यकारी या संकाय के पद में भूगोल या भू-विज्ञान या भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 15 वर्षों का कार्य करने का या अनुसंधान में अनुभव, जिसमें प्रशासनिक या स्थापना कार्य में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव भी शामिल है।

**वांछनीय:**

(i) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक सोसाइटियों या भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय मानचित्रकारी सम्बंधी संघ या इसी प्रकार के संगठनों या संघों की सदस्यता हो।

(ii) सहकर्मी समीक्षा जर्नल में प्रकाशन द्वारा साक्ष्य के रूप में मानचित्रकला और सहबद्ध विषयों में अनुसंधान प्रकाशन को अधिमान दिया जाएगा।

**टिप्पण 1 :-** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

**टिप्पण 2 :-** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

**टिप्पण :** राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन (निदेशक) भर्ती नियम, 2019 भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 274, तारीख 30 अप्रैल, 2019 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

[फा. सं. एसएम/01/20/2017]

अनीता धादरा, अवर सचिव

New Delhi, the 21st December, 2020

**G.S.R. 216.—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the National Atlas and Thematic Mapping Organisation (Director) Recruitment Rules, 2019, namely:-

**1**. (1) These rules may be called the National Atlas and Thematic Mapping Organisation (Director) Recruitment (Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2.** In the National Atlas and Thematic Mapping Organisation (Director) Recruitment Rules, 2019, -

in the Schedule in column (7), for the entry, the following entries shall be substituted, namely:-

**Essential:**

(i) Doctorate in Geography with Masters Degree in Geography from a recognised University or institute.

(ii) 15 years working or research experience in the field of Geography or Geology or Geo- spatial Technologies in executive or faculty position, including at least three years experience in administration or establishment work.

**Desirable:**

(i) Membership of National and International Geographical Societies or Indian National Science Congress or Indian National Cartographic Association or similar type of organisations or associations.

(ii) Research publication preferably on Cartography and allied disciplines as evidenced by publication in peer-reviewed journals.

**Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.

**Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

**Note:** The National Atlas and Thematic Mapping Organisation (Director) Recruitment Rules, 2019 were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 274 dated the 30th April, 2019.

[F. No. SM/01/20/2017]

ANITA DHADRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2020

**सा.का.नि. 217.—**राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन (उप निदेशक) भर्ती नियम, 1989 में उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन में उप निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन (उप निदेशक) भर्ती नियम, 2020 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .—**उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति -

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नही होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**5. शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिये जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**6. व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन पद है अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु-सीमा | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| उप निदेशक | 8 (आठ)* (2020)<br><br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन मेट्रिक्स में स्तर -11 (रु. 67700-208700) | चयन पद | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | **भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | 100% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) |

| प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जायेगा |
|---|
| (11) |
| **प्रोन्नति :** वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 में ऐसे अनुसंधान अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्षों की नियमित सेवा की हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी में दो सप्ताह का अग्रिम प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो/ आंतरिक प्रशिक्षण पूरा किया हो।<br><br>**प्रतिनियुक्ति** (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :<br>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधीन ऐसे अधिकारी :-<br>**(क) (i)** जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या<br>**(ii)** जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 या उसके समतुल्य में नियमित आधार पर पाँच वर्ष की सेवा की हो, और |

**(ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :-**

**आवश्यक :**

(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भूगोल या भू-विज्ञान या अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान या भू-सूचना विज्ञान या भौगोलिक सूचना प्रणाली और दूर संवेदी या जियोमेटिक्स या भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री।

(ii) कार्यकारी या संकाय के पद में भूगोल या भू-विज्ञान या भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों में सात वर्ष का कार्यकारी या अनुसंधान में अनुभव।

**वांछनीय :**

(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भूगोल या भू-विज्ञान या अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान या भू-सूचना विज्ञान या भौगोलिक सूचना प्रणाली और दूर संवेदी या जियोमेटिक्स या भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी में डाक्टरेट की डिग्री ।

(ii) भौगोलिक या मानचित्रकारी अध्यापन या अनुसंधान जिसमें विभिन्न विषयों पर डाटा संग्रहण और मानचित्रों का बनाना शामिल है, में तीन साल का अनुभव।

**टिप्पण 1 :-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिये विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमे से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिये अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो ।

**टिप्पण 2 :-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे ।

**टिप्पण 3 :-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितयो में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा |
|---|---|
| (12) | (13) |
| **समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिये) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-**<br>(1) सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - अध्यक्ष<br>(2) सम्बद्ध संयुक्त सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - सदस्य<br>(3) सम्बद्ध निदेशक या उप - सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - सदस्य<br>(4) निदेशक, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन - सदस्य | प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के माध्यम से नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य होगा। |

[फा.सं. एसएम/01/11/2017]

अनीता धादरा, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd December, 2020

**G.S.R. 217 .—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Atlas and Thematic Mapping Organisation ( Deputy Director ) Recruitment Rules, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following

rules regulating the method of recruitment to the said post of Deputy Director in the National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, namely:-

**1. Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the National Atlas and Thematic Mapping Organisation ( Deputy Director ) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification and level in pay matrix.** – The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications etc.** – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

**4. Disqualification.**– No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of post | Number of post | Classification | Level in pay matrix | Whether selection post or non-selection post | Age-limits for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Deputy Director. | 8* (eight) (2020)<br>* Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group ‘A’, Gazetted, Non-Ministerial. | Level- 11 (Rs.67, 700- 2,08,700). | Selection post | Not applicable |

| Educational and other qualification required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods |
|---|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| Not applicable | Not applicable | Not applicable | 100 percent by Promotion failing which by Deputation (including Short Term Contract). |

| In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| **Promotion:** Research Officer in Level-10 of the pay matrix with five years of regular service in the grade and having successfully completed two weeks of Advance training in geospatial technology from any recognised Institute/in-house training.<br><br>Deputation (including short term contract): Officers under the Central or State Government or Union territories administration or Autonomous or Statutory Organisation or Public Sector Undertakings or University or recognised Research Institutions.<br><br>(a)(i) holding analogous posts on regular basis; or<br><br>(ii) with five years regular service in Level 10 in the pay matrix or equivalent, and<br><br>(b) possessing the educational qualifications and experience:-<br><br>**Essential:**<br>(i) Masters degree in Geography or Geology or Applied Geology or Geoinformatics or GIS and Remote Sensing or Geomatics or Geospatial Technology from a recognised University.<br><br>(ii) seven years working or research experience in the field of Geography or Geology or Geo-Spatial technologies in executive or faculty position.<br>**Desirable:**<br>(i) Doctorate in Geography or Geology or Applied Geology or Geoinformatics or GIS and Remote Sensing or Geomatics or Geospatial Technology from a recognised University.<br><br>(ii) three years experience in Geographical or Cartographical teaching or research involving collection of data and preparation of maps on various themes. | **Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-**<br><br>(1) Secretary, Department of Science and Technology. -Chairman<br><br>(2) Joint Secretary concerned, Department of Science and Technology. - Member<br><br>(3) Director or Deputy Secretary concerned, Department of Science and Technology. - Member<br><br>(4) Director, National Atlas and Thematic Mapping Organisation. - Member | Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making recruitment through Deputation (including Short Term Contract). |

| | | |
|---|---|---|
| **Note 1**: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.<br><br>**Note 2**: The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.<br><br>**Note 3**: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.<br>The Maximum age limit for appointment by deputation shall be Not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications | | |

[F. No. SM/01/11/2017]

ANITA DHADRA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.01.08 12:29:31 +05'30'